राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि / नरेगा / जेटीए / 2010 पार्ट–1 / 74144 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
भीलवाडा।

विषय :– कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री सुरेश चंद लोदी, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाडा द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों में भारी भ्रष्टाचार करने व अपनी मनमानी करने एवं उसके विरूद्ध जांचे विचाराधीन होने से उसका स्थानान्तरण करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाडा के प्रार्थीगण एवं जन प्रतिनिधिगण से प्राप्त ज्ञापन जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री सुरेश चंद लोदी, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाडा द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों में भारी भ्रष्टाचार करने व अपनी मनमानी करने एवं उसके विरूद्ध जांचे विचाराधीन होने से उसका स्थानान्तरण करवाये जाने हेतु लिखा है।

विभाग के पत्रांक एफ 10(7)ग्रावि / नरेगा / संविदा / 10–11 दिनांक 28.02.2011 में निर्देश दिये गये है कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के साथ किये जाने वाले संविदा अनुबन्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) एवं संविदा कार्मिक के हस्ताक्षर होंगे, जिससे कि इन संविदा कार्मिकों की सेवाएं संविदा अवधि में ही कार्य उपलब्धता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत अथवा पंचायत समिति में आवश्यकतानुसार ली जा सके।

इस संबंध में प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण पर श्री सुरेश चंद लोदी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा के विरूद्ध जांच करते हुए उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही संपादित करें।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग को उनके डायरी कमांक 2776 दिनांक 23.06.2016 के कम में।
2. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान (अलावा भीलवाडा)।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस